

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०संख्या-1जी०/ई०प्र०क०-30-13/2015- 1626

पटना, दिनांक-२१/०८/१५

आदेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कल्याण सेवा संवर्ग के प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन तथा अपर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 3476 दिनांक 03.08.2015 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कंडिका-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित जिला	स्थानांतरित जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	7
1	श्री वृजेन्द्र कुमार सिंह, प्र०क०पदा०	सारण	जिला क० कार्या०, जमुई	मुंगेर	
2	श्री रवीन्द्र कुमार यादव, प्र०क०पदा०	भोजपुर	जिला क० कार्या०, पूर्वी चम्पारण	बक्सर	विकलांगता के आधार पर
3	श्री राजीव कुमार, प्र०क०पदा०	जहानाबाद	जिला क० कार्या०, सारण	गया	अभ्यावेदन के आधार पर
4	श्री बृजेश कुमार मौर्य, प्र०क०पदा०	भोजपुर	जिला क० कार्या०, सारण	पूर्वी चम्पारण	अभ्यावेदन के आधार पर
5	श्री मनोज कुमार राम, प्र०क०पदा०	भोजपुर	जिला क० कार्या०, सुपौल	बक्सर	अभ्यावेदन के आधार पर
6	श्री अरविन्द कुमार आर्य, प्र०क०पदा०	खगड़िया	जिला क० कार्या०, सुपौल	पूर्णियाँ	पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए
7	श्रीमती प्रतिमा कुमारी, प्र०क०पदा०	नालन्दा	जिला क० कार्या०, शिवहर	नवादा	अभ्यावेदन के आधार पर
8	श्री अरविन्द कुमार, प्र०क०पदा०	-	जिला क० कार्या०, समस्तीपुर	जहानाबाद	अभ्यावेदन के आधार पर
9	श्री राजीव रंजन देसाई, प्र०क०पदा०	पटना	जिला क० कार्या०, सारण	जहानाबाद	पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए
10	श्री अखिलेश कु० सिंह, प्र०क०पदा०	बलिया (यू०पी०)	जिला क० कार्या०, सारण	भोजपुर	पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए
11	श्री राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह, प्र०क०पदा०	-	जिला क० कार्या०, मुजफ्फरपुर	पटना	अभ्यावेदन के आधार पर

12	श्री राजीव कुमार रवि, प्र०क०पदा०	वैशाली	जिला क० कार्या०, सारण	मुजफ्फरपुर	अभ्यावेदन के आधार पर
13	श्री पवन कु० सिंह, प्र०क०पदा०	पटना	जिला क० कार्या०, बक्सर	जहानाबाद	पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए
14	श्री अनुप कुमार, प्र०क०पदा०	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	जिला क० कार्या०, शिवहर	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	अभ्यावेदन के आधार पर
15	मो० असलम अली, प्र०क०पदा०	भोजपुर	जिला क० कार्या०, कैमूर	बांका	प्रशासनिक दृष्टिकोण से

2— सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानांतरित स्थान पर अविलम्ब योगदान समर्पित करें तथा इससे विभाग को भी अवगत करायें।

3— अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

4— स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को माह, सितम्बर 2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से देय होगा।

5— जैसे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो छात्रवृत्ति कार्य हेतु निदेशालय/मुख्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, वे इस आदेश के निर्गत के उपरांत भी अगले आदेश तक मुख्यालय में प्रतिनियुक्त रहेंगे।

6— प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

WLC/18/15

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1जी०/ई०प्र०क०स्था०-30-13/2015-1626

पटना, दिनांक 21/08/15

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

WLC/18/15

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1जी०/ई०प्र०क०स्था०-30-13/2015-1626

पटना, दिनांक 21/08/15

प्रतिलिपि- संबंधित उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित कोषाग्र पदाधिकारी/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/ओई०टी०मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

WLC/18/15

सरकार के विशेष सचिव।